UPBP010017692026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), बलरामपुर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-626/2026
सी०एन०आर० संख्या- यू०पी०बी०पी० 010017692026

अकरम खाँ आयु करीब 26 वर्ष पुत्र लल्लन खाँ निवासी बभनी, पिपरा याकूब, थाना श्रीदत्तगंज, जनपद बलरामपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य .....विपक्षी।

मुकदमा अपराध सं०–40/2026
धारा– 191(2), 103(1), 115(2) भा०न्या०संहिता/ (147, 302, 323 IPC)
थाना–श्रीदत्तगंज
जनपद–बलरामपुर।

दिनांक-02.06.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त अकरम खाँ की ओर से अपराध संख्या–40/2026 अन्तर्गत धारा– 191(2), 103(1), 115(2) भा०न्या०संहिता/(147, 302, 323 IPC), थाना–श्रीदत्तगंज, जनपद बलरामपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र शपथी गुलाम मो० लल्लन खान के शपथ पत्र से समर्थित है।

2. आवेदक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन है, इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में न ही समकक्ष न्यायालय में न मा० उच्च न्यायालय में न प्रस्तुत हुआ, न निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी/सूचनाकर्ता सलीम ने दिनांक 04.04.2026 को थाना–श्रीदत्तगंज जनपद–बलरामपुर में इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया कि वादी ग्राम–पिपरा याकूब (बभनी), थाना–श्रीदत्तगंज, जनपद बलरामपुर का मूल निवासी है। गांव के दुल्ला खां के यहाँ से खेत सींचने के लिए पाइप लाये थे। जिसे वापस करने वादी का भतीजा जुबैर पाइप दिनांक 04.04.2026 समय करीब 12.00 बजे दिन में उनके घर गया था तब उनकी लड़की द्वारा कहा गया कि पाइप की संख्या कम है। यह बात हो रही थी कि इतने में अकरम खां, सलमान खां, शमसुद्दीन खां एवं फरहान खां उर्फ गोलू व चार अन्य लोग वादी के भतीजे जुबैर को बैट एवं स्टम्प से मारने लगे। जिसे देखकर वादी बड़े भाई निजामुद्दीन व भतीजी अजीजुननिशा बचाने गए तो उनको भी विपक्षीगण द्वारा क्रिकेट बैट एवं स्टम्प से मारे–पीटे, जिससे वादी के बड़े भाई निजामुद्दीन की मौके पर ही मृत्यु हो गई और भतीजी अजीजुननिशा एंव भतीजे जुबैर को काफी चोट आयी है। वादी के उक्त आशय के प्रार्थनापत्र के

आधार पर थाना–श्रीदत्तगंज पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–105, 115(2), 191(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ। उक्त प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचना के क्रम में अंकित चोटहिल साक्षीगण के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर धारा–105 भारतीय न्याय संहिता को धारा–103 (1) भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तित कर विवेचना प्रचलित है।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का आधार दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त का तथाकथित अपराध से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। वह अत्यन्त गरीब है तथा रोजी–रोटी के सिलसिले में लखनऊ में रहकर कबाड़ी का कार्य करता है, जिससे ही उसके परिवार का खर्चा व भरण पोषण होता है। मृतक निजामुद्दीन 65 वर्ष का बूढ़ा व बीमार व्यक्ति था जो चलने फिरने में पूर्णतया असमर्थ था, इसलिए सम्भव है कि मृतक को गिरने पड़ने की वजह से चोटें आ गयी हों तथा उन्हीं चोटों की वजह से उसकी मृत्यु हो गयी हो। वादी मुकदमा ने इसी अवसर का लाभ लेते हुए आवेदक/अभियुक्त को फर्जी तौर पर नामित अभियुक्त बना दिया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के पास से कोई भी आला कत्ल एवं कोई अन्य वस्तु बरामद नहीं हुआ है। बरामदगी फर्जी दिखाई गई है। आवेदक/अभियुक्त की जमानत समाज के सम्भ्रान्त व्यक्ति लेने को तैयार हैं। बाद जमानत आवेदक/अभियुक्त जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा, प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय उपस्थित रहेगा व न्यायालय द्वारा दिये गये समस्त आदेशों व निर्देशों का पालन करेगा। उपरोक्त कथनों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

5. राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि आवेदक /अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भतीजे मोहम्मद जुबैर एवं उन्हें बचाने पहुंचे निजामुद्दीन व अजीजुननिशा को बैट एवं स्टम्प आदि से मार-पीट कर चोटें पहुंचाई, जिससे निजामुद्दीन की मौके पर ही मृत्यु हो गई। चश्मदीद साक्षीगण नाजमा, रिजवान व चोटहिल मोहम्मद जुवैर आदि ने विवेचक को दिए गए अपने बयान में स्पष्ट रूप से आवेदक/अभियुक्त की सह-अभियुक्तगण के साथ उक्त अपराध में संलिप्तता बताई है। शव विच्देछन आख्या के अनुसार मृतक निजामुद्दीन के शरीर पर मृत्यु-पूर्व की कुल 04 चोटें पायी गई है तथा मृत्यु-पूर्व आई चोटों की वजह से उत्पन्न हेमेरोजिक शॉक से उसकी मृत्यु हुई है। कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। विवेचना अभी प्रचलित है। अतएव अभियुक्त का जमानत प्रार्थना निरस्त किये जाने योग्य है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना गया तथा थाने की रिपोर्ट व केस डायरी का अवलोकन किया गया।

7. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भतीजे मोहम्मद जुबैर व उसे बचाने आये निजामुद्दीन व अजीजुननिशा को विधि विरुद्ध जमाव करके बल्वा कारित करते हुए बैट एवं स्टम्प आदि से मार-पीट कर चोटें

पहुंचाई, जिसके कारण निजामुद्दीन की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। केस डायरी में संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक निजामुद्दीन की मृत्यु एण्टी मार्टेम इन्जरी के कारण हेमेरॉजिक शॉक से उसकी मृत्यु होना दर्शित है। इस स्तर पर केस डायरी पर उपलब्ध प्रपत्रों/ साक्ष्य से उक्त अपराध कारित करने में अभियुक्त की संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित हो रही है। प्रकरण गम्भीर प्रकृति का है। प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में सह-अभियुक्त अरमान खाँ की जमानत प्रभारी सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर द्वारा निरस्त की जा चुकी है।

8. उपर्युक्त तथ्यों, विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य व अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत अभियुक्त को जमानत पर निर्मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। तदनुसार उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अकरम खाँ की ओर से अपराध संख्या– 40/2026 अन्तर्गत धारा– 191(2), 103(1), 115(2) भा०न्या०संहिता/(147, 302, 323 IPC), थाना–श्रीदत्तगंज, जनपद बलरामपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–02.06.2026

(**सुमित प्रेमी**)
अपर जनपद न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध)
बलरामपुर।
JO Code- UP 1774

Digitally signed by SUMIT PREMI
Date: 2026.06.02 17:17:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court